

## छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के अंतर्गत लघु वन उपज संग्रहण में आजीविका संबंधी जोखिम और बाजार शोषण

डॉ निधि मिश्रा

सहायक प्राध्यापक

वाणिज्य, सेठ आर सी एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छग)

### संक्षेपिक

छत्तीसगढ़ की आदिवासी समुदायों के लिए लघु वन उपज संग्रहण आजीविका के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। यह मौसमी आय, खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी अनिश्चितताओं से बचाव प्रदान करता है। हालांकि, यह गतिविधि कई व्यावसायिक खतरों, पर्यावरणीय चुनौतियों और बाजार में होने वाले घोर शोषण से जुड़ी हुई है। वन में रहने वाले लोग अक्सर पेड़ पर चढ़ने से होने वाली चोटों, सांप के काटने, भालू के हमलों और जंगली जानवरों से संघर्ष का सामना करते हैं, खासकर शहद, महुआ और अन्य गैर-लकड़ी वन उत्पादों को इकट्ठा करते समय। साथ ही, विपणन प्रणाली अव्यवस्थित बनी हुई है और स्थानीय बिचौलियों द्वारा नियंत्रित है, जो अक्सर उत्पादों को बेहद कम कीमतों पर खरीदते हैं और वजन, भुगतान और विनिमय प्रणालियों में हेरफेर करते हैं। यह शोधपत्र वन संग्रहण में निहित जोखिमों और विपणन चैनलों में व्याप्त शोषण, दोनों पहलुओं का एक साथ विश्लेषण करता है। आंकड़ों में दर्शाए गए क्षेत्र आधारित अवलोकनों के आधार पर, यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि आजीविका की असुरक्षा और बाजार में असमानता मिलकर आदिवासी गरीबी को कैसे बढ़ावा देती हैं। शोधपत्र का तर्क है कि विपणन प्रणालियों में सुधार, उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और संस्थागत खरीद को मजबूत करना आदिवासी कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और आर्थिक अलगाव को कम कर सकता है।

### 1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ भारत के सबसे अधिक वनों वाले राज्यों में से एक है और यहाँ एक बड़ी आदिवासी आबादी भी है, जिनकी आजीविका वनों से गहराई से जुड़ी हुई है। इन समुदायों के लिए, वन उत्पाद केवल एक पूरक व्यवसाय नहीं बल्कि नकद आय का प्राथमिक स्रोत हैं। कई आदिवासी क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, छोटे भू-जोतों और कम उत्पादकता के कारण कृषि आय अनिश्चित है। परिणामस्वरूप, लघु वन उत्पाद जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं।

वन संग्रहण गतिविधियाँ सुबह जल्दी शुरू होती हैं और अक्सर दिन भर चलती रहती हैं। आदिवासी परिवार, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग सदस्य भी शामिल हैं, महुआ के फूल, शहद, औषधीय जड़ी-बूटियाँ और खाद्य वन उत्पाद एकत्र करने में भाग लेते हैं। ये उत्पाद तीन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: घरेलू उपभोग, वस्तु विनिमय और नकद बिक्री।

इसके महत्व के बावजूद, वन संग्रहण न तो सुरक्षित है और न ही आर्थिक रूप से लाभकारी। इस प्रक्रिया में संग्रहणकर्ताओं को खतरनाक भौतिक वातावरण का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इन जोखिमों से बचने के बाद, संग्रहणकर्ता एक ऐसे बाजार में प्रवेश करते हैं जहाँ सौदेबाजी की शक्ति पूरी तरह से व्यापारियों के हाथ में होती है। व्यावसायिक जोखिम और आर्थिक शोषण का दोहरा बोझ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आदिवासी वन अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है।

### 2. वन उत्पाद संग्रहण में व्यावसायिक खतरे

शहद संग्रहण सबसे खतरनाक गतिविधियों में से एक है। आदिवासी संग्राहक बिना सुरक्षा उपकरणों के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके ऊंचे पेड़ों और चट्टानों पर चढ़ते हैं। एक छोटी सी चूक भी गंभीर चोट का कारण बन सकती है। कई मामलों में, संग्राहक ऊंचाई से गिर जाते हैं और उन्हें फ्रैक्चर या स्थायी विकलांगता हो जाती है।

सांप का काटना एक और आम खतरा है क्योंकि संग्रहण घने जंगलों में होता है जहाँ जहरीले सांप बहुतायत में पाए जाते हैं। चूँकि कई वन गांव स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर स्थित हैं, इसलिए उपचार में अक्सर देरी होती है और कभी-कभी यह घातक भी साबित होता है।

जंगली जानवरों से सामना होने से जोखिम और बढ़ जाता है। भालू अक्सर महुआ के फूलों की सुगंध और पोषण मूल्य के कारण आकर्षित होते हैं। जब मनुष्य संग्रहण के लिए उसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो अचानक टकराव हो जाता है। इन मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर चोटें या मृत्यु हो जाती है। गर्मियों के दौरान, जब महुआ संग्रहण चरम पर होता है, तो ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं।




शहद निकालते समय मधुमक्खियों का हमला भी गंभीर खतरा पैदा करता है। छत्ते को छेड़ने से आक्रामक झुंड सक्रिय हो जाता है, और संग्राहकों को सैकड़ों डंक लग सकते हैं। सुरक्षात्मक कपड़ों के बिना, ये हमले गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं और कभी-कभी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकते हैं।



शारीरिक चोटों के अलावा, सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होते हैं। वनों तक पहुंच को लेकर कभी-कभी पड़ोसी समुदायों के बीच संग्रहण अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ मामलों में, संघर्ष हिंसा में तब्दील हो जाते हैं, जिससे आजीविका संबंधी असुरक्षा और भी बढ़ जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज संग्रहण एक मौसमी प्रक्रिया है, अर्थात् यह कि भिन्न - भिन्न वनोपज उत्पादों को भिन्न - भिन्न समयों पर एकत्रित किया जाता है, चूंकि वन परिवर्तित होते मौसमों के साथ अपनी आकृति को परिवर्तित करते हैं, आदिवासियों के लिए वनोपज संग्रहण के समय नवीन-नवीन संग्रहण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें चित्र 1 के माध्यम से दर्शाया गया है।

चित्र 1 में दर्शायी गई परिस्थितियों के अनुसार वनोपज संग्रहण में प्राणों का खतरा होता है, ऐसी स्थितियों में वनों में जाकर वनोपज संगृहीत करना वनोपज को एक बहुमूल्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर देता है, चूंकि, वनोपज संग्रहण में प्राणों से संबंधित खतरे अत्यधिक होते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है, कि वनोपज संग्राहकों को संगृहीत वनोपज के संदर्भ में उचित मूल्य प्राप्त हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य इस हेतु शासन का एक उत्तम प्रयास है परंतु यह तभी प्राप्त होता है जब वनोपज संग्राहक शासकीय विपणन प्रणाली का प्रयोग नियमित कोटे के अंतर्गत करता है। अन्य विपणन प्रणाली का प्रयोग कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान समय में कोई तंत्र स्थापित नहीं है, इस प्रकार आदिवासी अपने द्वारा संगृहीत उत्पादों को अन्य विपणन माध्यमों से विक्रय करते हैं और ग्राम कोचियों, बिचौलियों के हाथों आर्थिक शोषण को प्राप्त करते हैं।

चित्र 1 छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज संग्रहण में समस्याएं

	<p>वनोपज संग्रहण अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में किया जाता है। कई अवसरों पर शहद एकत्रित करने हेतु आदिवासियों को ऊंचे लंबे और चिकने पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। सामान्य रूप से पेड़ों पर चढ़ने में निपुण आदिवासी इस प्रक्रिया को सरलता से पूर्ण कर लेते हैं परंतु वर्षा ऋतु में चिकनाई में वृद्धि करने के कारण पेड़ों से गिरना और घायल हो जाना नवीन वनोपज संग्राहकों के लिए सामान्य है।</p>
	<p>छत्तीसगढ़ राज्य जैव-विविधता का केंद्र है। अतः राज्य के वनों में सर्प स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। वनोपज संग्राहकों को सर्प दंश लगना सामान्य घटना है, परंतु यदि इससे संबंधित चिकित्सा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है जिससे संग्राहक संभवतः मृत्यु को प्राप्त करता है।</p>
	<p>वनोपज संग्रहण में मुख्य है महुआ। महुआ भालू को भी प्रिय है। मार्च से मई के माह में पेड़ों से गिरने वाले महुए के लिए भालू और मनुष्य दोनों आते हैं। ऐसी स्थिति में भालू का मनुष्य को खतरे के रूप में चिन्हित कर लेना और आक्रमण कर मुह नोच देना अथवा प्राण हर लेना सामान्य घटना है।</p>

	आदिवासियों पर मधुमक्खियों के आक्रमण भी वनों में हो जाते हैं विशेष रूप से ग्रीष्म काल में यह ऋतु वनोपज एकत्रित करने के लिए उत्तम होती है परंतु अधिक तापमान और रसीले फूलों की कमी के कारण मधुमक्खी स्वभाव से चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ऐसी अवस्थाओं में तनिक मात्र भी छेड़ा जाना आक्रमण का कारण बन जाता है।
	आदिवासियों के मध्य वनोपज संग्रहण हेतु सामुदायिक विवाद सामान्य है, परंतु आदिवासी निरंतर शिकायत करते हैं कि विभिन्न प्रलोभनों के कारण वन-रक्षक किसी एक समुदाय विशेष को वनोपज संग्रहण करने हेतु न केवल संरक्षित करते हैं अपितु उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं।

### 3. बाजार शोषण का स्वरूप

वन उत्पाद संग्रहण के खतरों का सामना करने के बाद, आदिवासी संग्राहकों को एक अत्यंत असमान विपणन संरचना का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण व्यापारी अक्सर दूरदराज की बस्तियों में जाकर सीधे घरों से वन उत्पाद खरीदते हैं। बाजार की जानकारी के अभाव में, संग्राहक बड़े बाजारों में प्रचलित कीमतों से अनभिज्ञ होते हैं और जो भी कीमत मिलती है उसे स्वीकार कर लेते हैं।

शोषण का सबसे आम रूप मूल्य दमन है। व्यापारी महुआ के फूल और इमली जैसे उत्पादों की शीघ्र खराब होने की प्रकृति का लाभ उठाते हैं। चूंकि संग्राहक उपज को सुरक्षित रूप से भंडारित नहीं कर सकते, इसलिए वे तुरंत बहुत कम कीमतों पर बेचने के लिए विवश होते हैं।

वजन में हेराफेरी एक अन्य आम प्रथा है। कई मामलों में, व्यापारी गलत वजन मापने वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं या नमी या अशुद्धता का दावा करके मनमाने ढंग से मात्रा घटा देते हैं। परिणामस्वरूप, संग्राहकों को उनकी वास्तविक आपूर्ति से कम मात्रा का भुगतान मिलता है।

कई क्षेत्रों में वस्तु विनिमय भी जारी है। नमक, शराब या अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं का वन उत्पादों के बदले प्रतिकूल अनुपात में आदान-प्रदान किया जाता है। प्रदान की गई वस्तुओं का मूल्य एकत्रित उपज के बाजार मूल्य से कहीं कम होता है। यह व्यवस्था संग्राहकों को निर्भरता के दुष्चक्र में फंसा देती है।

कुछ मामलों में, वसूली के मौसम से पहले ही अग्रिम ऋण दे दिए जाते हैं। ऐसे में वसूलीकर्ता को पूर्वनिर्धारित कम कीमतों पर केवल उसी व्यापारी को माल बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह बाधित ऋण प्रणाली मुक्त बाजार विकल्पों को समाप्त कर देती है और आर्थिक शोषण को बढ़ावा देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एकत्रित वनोपज को विभिन्न विपणन माध्यमों का प्रयोग कर आदिवासियों के द्वारा विक्रय किया जाता है। यहाँ यह दृष्टिगत किया जाना आवश्यक है कि जहाँ राज्य में कृषक अपनी उपज को लेकर एक मंडी से दूसरी मंडी उचित मूल्य प्राप्ति के लिए चक्कर लगाते हैं वहीं वनोपज को क्रय करने हेतु ग्राम कोचिए संग्राहक के निवास स्थल तक पहुँच जाते हैं, अपितु शिक्षा के अभाव और बाजार आकार की जानकारी न होने के कारण स्वयं शोषित होते वनोपज संग्राहकों की आर्थिक स्थिति ग्रामीण कृषकों से भी निकृष्ट प्रदर्शित होती है। राज्य में सूक्ष्म वनोपज उत्पादों के विपणन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले माध्यमों की जानकारी प्रस्तुत खंड में दर्शाई गई है।

- **प्रथम माध्यम** - वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से, इन समितियों पर संग्राहक अपने पारिवारिक कोटे के अनुसार विभिन्न वनोपज उत्पादों को विक्रय करते हैं। विक्रय की गई मात्रा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर संग्राहकों को डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर का प्रयोग करते हुए विक्रय मूल्य 15 दिवसों के अंतर्गत प्रदान कर दिया जाता है।


- **द्वितीय माध्यम** - यह माध्यम नवीन माध्यम है। वनोपज संग्राहक यदि इच्छुक होता है तो वह संगृहीत वनोपज को सीधे - सीधे वन धन-प्रसंस्करण केंद्रों में विक्रय कर सकता है, यहाँ भी उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना आवश्यक है। वन-धन केंद्रों में केवल उन्ही वनोपज उत्पादों को क्रय किया जा सकता है जिनका प्रसंस्करण उस केंद्र में किया जाता है।
- **तृतीय माध्यम** - यह माध्यम है हाट-बाजारों और स्थानीय बाजार के माध्यम से सीधे उपभोक्ता को विक्रय करना।
- **चतुर्थ माध्यम** - इस माध्यम के कई संस्करण उपस्थित हैं, परंतु प्रत्येक संस्करण में आदिवासियों का आर्थिक शोषण होना निश्चित है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस माध्यम में ग्राम कोचियों, बिचौलियों, थोक-व्यापारियों और विदेशी आयातकर्ताओं की चरणबद्ध श्रृंखला होती है जो कि स्वयं के लाभों को अधिक महत्व प्रदान करती है।

विडंबना यह है कि वर्तमान समय में चतुर्थ माध्यम का प्रयोग कर आदिवासी लगभग उतना ही वनोपज विक्रय कर रहे हैं जितना की वह सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय कर रहे होते हैं, अतः यदि ऐसे विपणन माध्यमों से आदिवासियों को मुक्त कराना है तो सर्वप्रथम यह ज्ञात करना होगा कि वैकल्पिक विपणन माध्यमों की दक्षता कितनी है और कोचियों बिचौलियों से संक्रमित माध्यमों की दक्षता कितनी है। इसके साथ ही यह ज्ञात करना भी आवश्यक है कि, किन किन कारकों के प्रभाव से इन माध्यमों का चुनाव आदिवासियों के द्वारा किया गया। ज्ञात दक्षता के आधार पर ही माध्यमों की दक्षता सुधार पर सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है।

#### 4. सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ

चित्र 2 माध्यम 4 की विपणन प्रणाली के प्रयोग से आदिवासियों के होते विभिन्न शोषणों का स्वरूप

 <p>गरीबी का वातावरण निर्मित करना</p>	<p>ग्राम कोचिए सामान्य रूप से बाहरी थोकव्यापारियों से संबंधित होते हैं। वह वन ग्रामों में ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जिसके प्रभाव से वनवासी यह सोचने पर विवश हो जाते हैं, कि वह <b>अत्यधिक गरीबी</b> की अवस्था में जीवनयापन कर रहे हैं। अतः उन्हें अपने संग्रहण के लिए जो मूल्य प्राप्त होता है वह उस पर वनोपज संग्रहण को विक्रय कर देते हैं।</p>
 <p>विदेशी मदिरा का प्रलोभन</p>	<p>आदिवासी संस्कृति में मदिरा का अत्यधिक महत्व है। परंतु यह मदिरा चावल अथवा महुए से निर्मित होती है। वर्तमान काल में इस आदिवासी संस्कृति का अनैतिक लाभ उठाते हुए ग्राम कोचिए आदिवासियों को विदेशी मदिरा अथवा कन्ट्री मेड लिक्वर का प्रलोभन देते हैं। इस प्रकार आदिवासियों को विदेशी मदिरा की लत लग जाती है और वह इन विदेशी मदिराओं के एवज में अपने संग्रहण को विक्रय कर देते हैं।</p>
 <p>नमक का प्रलोभन</p>	<p>राज्य के आदिवासी वर्तमान समय में भी ऐसे स्थानों में निवास करते हैं जहाँ केवल वन ही उन्हें जीवन यापन के संसाधन प्रदान करते हैं। यहाँ दैनिकी उपभोग की वस्तुओं का प्रवाह शून्य होता है। इसका अनैतिक लाभ उठाते हुए ग्राम कोचिए नमक जैसे अत्यंत कम व्ययशील उत्पादों के साथ वन ग्रामों में पहुंचते हैं और वहां नमक के बदले वनोपज उत्पादों को करे कर लेते हैं।</p>



मुर्गी के मांस का प्रलोभन

मदिरा के समान ही आदिवासी संस्कृति में मांस का अत्यधिक महत्व है। आदिवासी वनक्षेत्रों में शिकार कर मांस प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत ग्राम कोचिए उन्हें ब्रॉइलर मुर्गी का मांस प्रदान करते हैं, जो कि आदिवासियों के लिए रोचक होता है। अपितु शहरी अवस्थाओं में यह दोगम दर्जे का मांस होता है। ग्राम कोचिए पितृसत्तात्मकता संस्कृति का अनैतिक लाभ उठाते हुए आदिवासी परिवार के मुखिया को मांस और मदिरा का प्रलोभन देते हैं।

खतरनाक संग्रहण और शोषणकारी विपणन का संयुक्त प्रभाव दीर्घकालिक गरीबी है। जनजातीय परिवार भले ही श्रमदान करते हों और जानलेवा परिस्थितियों का सामना करते हों, उनकी आय न्यूनतम ही रहती है। बच्चे अक्सर संग्रहण गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिससे स्कूली उपस्थिति प्रभावित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बनी रहती है।

चोटों के कारण स्वास्थ्य व्यय से शुद्ध आय और भी कम हो जाती है। एक भी जानवर के हमले या गिरने से परिवार की पूरी मौसमी आय समाप्त हो सकती है। औपचारिक बीमा कवरेज के अभाव में, परिवार उधार पर निर्भर रहते हैं, जिससे ऋण का बोझ बढ़ता जाता है।

इसके अलावा, संगठित बाजारों की अनुपस्थिति टिकाऊ कटाई प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। जब संग्राहकों को कम प्रतिफल मिलता है, तो वे इसकी भरपाई के लिए अधिक मात्रा में संग्रहण करने का प्रयास करते हैं, जिससे वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है।

## 5. निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में लघु वन उपज संग्रहण एक विरोधाभास को दर्शाता है। यह उनके लिए जीवन रेखा भी है और आजीविका का जाल भी। आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं, फिर भी यह गतिविधि उन्हें गंभीर शारीरिक जोखिमों और व्यवस्थित बाजार शोषण के खतरे में डालती है। संगठित विपणन चैनलों के अभाव के कारण संग्रहणकर्ता मजबूरी में कम कीमत पर उत्पाद बेचने को विवश होते हैं, जबकि व्यावसायिक खतरे उनकी प्रभावी आय को कम कर देते हैं।

केवल उत्पादन में सुधार से समस्या का समाधान नहीं होगा। मूल मुद्दा विपणन संरचना और संस्थागत समर्थन में निहित है। उचित मूल्य निर्धारण तंत्र, सहकारी विपणन, भंडारण अवसंरचना और सूचना तक पहुंच वन संग्रहण को एक सम्मानजनक आजीविका में बदलने के लिए आवश्यक हैं। साथ ही, सुरक्षा उपायों से संग्रहणकर्ताओं को रोकी जा सकने वाली चोटों से बचाया जाना चाहिए।

यदि विपणन सुधार और सुरक्षात्मक हस्तक्षेप एक साथ लागू किए जाएं, तो लघु वन उपज एक निर्वाह गतिविधि से एक स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकसित हो सकती है। ऐसा परिवर्तन न केवल आदिवासी कल्याण को बढ़ाएगा बल्कि संरक्षण को भी प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि जो समुदाय आर्थिक रूप से वनों से लाभान्वित होते हैं, वे ही उनके सबसे मजबूत संरक्षक बनते हैं।

## REFERENCES

1. National Rural Livelihoods Mission (NRLM). (2019). *Promotion of Tribal Livelihoods through Forest Produce Based Enterprises*. New Delhi.
2. Pandey, A. K., Tripathi, Y. C. and Kumar, A. (2016). Non timber forest products of India: Recent trends in demand and supply. *Journal of Forestry Research*, 27(2), 329 to 339.
3. Planning Commission. (2008). *Report of the Task Force on Minor Forest Produce and Tribal Livelihoods*. Government of India.

4. TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.). (2016). *Van Dhan Vikas Kendras: Guidelines for Value Addition and Marketing of Minor Forest Produce*. New Delhi.
5. World Bank. (2006). *Unlocking Opportunities for Forest Dependent People in India*. Washington DC.